(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 128–तीन/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 404/अपील/2006–07.

रामसिंह पुत्र किशन सिंह (मृतक) द्वारा वारिसान

1– श्रीमती हीराबाई बेवा पत्नी स्व. रामसिंह
2– कल्याण सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
3– प्रेमसिंह पुत्र स्व. रामसिंह
4– लखन सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
5– बलराम सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
निवासीगण ग्राम फिरंगी मजगंवा शानी
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचरण पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम मजगवा शानी
तहसील बेगम गंज जिला रायसेन
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन .....अनावेदकगण

श्री बी.एस. धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्र सिंह कौशिक, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक मृतक रामसिंह द्वारा मौजा मजगंवा सानी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आने जाने का रास्ता खुलवाये

जाने हेतु संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, बेगमगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/99–2000 दर्ज कर दिनांक 3–4–2002 को आदेश पारित कर कतिपय शर्तों के साथ मृतक आवेदक को अपने खेत पर आने–जाने हेतु रास्ता दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बेगम गंज जिला रायसेन के समक्ष दिनांक 29–7–2002 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2003 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–12–2004 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 356–पीबीआर/2005 में दिनांक 4–1–2006 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण समय–सीमा में मान्य किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 7–5–2007 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाकर अनावेदक कमांक 1 की अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–10–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2002 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2007 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सर्वे नम्बर 138 शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण होने से सर्वप्रथम इस बिन्दु की जांच की जाये कि सर्वे नम्बर 138 से अतिक्रमण हटाने पर सभी कृषकों को रास्ता उपलब्ध हो सकता है या नहीं । तत्पश्चात उभय पक्ष की सुनवाई कर संहिता की धारा 131 के अंतर्गत विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण ने अपने खसरा नम्बर 108 पर जाने हेतु खसरा नम्बर 137 एवं 241/95 के मध्य से 40–45 साल पुराने रास्ते को खुलवाने का अनुरोध किया था, जिसे अनावेदकगण ने जून व जुलाई, 1997 से बन्द कर दिया था खसरा नम्बर 137 एवं 241/95 दोनों ही आवेदकगण के नाम पर दर्ज हैं । अनावेदक द्वारा आवेदकगण के रास्ते को पूर्णरूप से मिटाकर अपने दोनों नम्बरों की मेढ़ भी हटाकर फसल बो दी थी ।

(2) आवेदकगण को अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2–1–2002 को स्थल निरीक्षण किया गया है एवं पक्षकारों की सहमति से संलग्न नक्शा प्रदर्श पी–2 के मुताबिक आवेदकगण को खसरा नम्बर 130 से होते हुए खसरा नम्बर 132 एवं 135 तथा खसरा नम्बर 139 व 134 के बीच स्थित मेढ़ से होते हुए अपने खते खसरा नम्बर 227/119 से होते हुए खसरा नम्बर 137 व 109 के बीच की मेढ़ से होते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 108 में जाने का रास्ता प्रदान किया गया था, जो उचित है ।

(3) प्रदर्श पी–2 नक्शा से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 108 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 137 की उत्तरी मेढ़ अथवा पूर्वी मेढ़ को उपयोग करना जरूरी है ।

(4) स्थल निरीक्षण के दौरान अनावेदक का पुत्र शिवराज सिंह एवं अनावेदक का भाई लखन सिंह एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं । उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के उपयोग हेतु सहमति प्रदान की थी एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा पर हस्ताक्षर कर प्रस्तावित रास्ते प्रदर्श पी–2 के लिए सहमति प्रदान की थी एवं यह भी पाया गया कि आवेदकगण के लिए प्रदर्श–2 के अनुसार रास्ता सुविधाजनक है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रिका दिनांक 4–3–2002 से स्पष्ट है कि उभय पक्षों को प्रदर्श पी–2 के संबंध में अवलोकन कराया गया, जिसके आधार पर रास्ता दिया जाना स्वीकार भी किया गया है ।

(6) व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 96(3) के अन्तर्गत सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी, जब तक कि उसे कपटपूर्ण सिद्ध न कर दिया जाये ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति से एवं स्थल निरीक्षण उपरांत विधिवत रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को अपनी भूमि पर आने–जाने लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जिस पर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि जिस शासकीय भूमि पर रास्ता है, उक्त भूमि को आवेदकगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिवत निष्कर्ष निकालते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में कोई भूल नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक पक्ष द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर सुखाधिकार के आधार पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया गया है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा सहमति उपरांत भी अपील प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 द्वारा शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 138 पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया गया है, नक्शे में भी सर्वे कमांक 138 का रास्ता बन्द दर्शाया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि सर्वे कमांक 138 शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण होने से सर्वप्रथम इस बिन्दु की जांच की जाये कि सर्वे नम्बर 138 से अतिक्रमण हटाने पर सभी कृषकों को रास्ता उपलब्ध हो सकता है या नहीं । तत्पश्चात उभय पक्ष की सुनवाई कर संहिता की धारा 131 के अंतर्गत विधिसंगत आदेश पारित किया जाये ।

अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर